न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 03/2019

दायर दिनांकः 22.04.2019

निर्णय दिनांक 24.05.2021

—:अनवानः—

किशनलाल पिता रामलाल तेली उम्र — 41 वर्ष, पेशा — व्यापार, निवासी — रघुनाथपुरा पार्टनर पवन मिनरल्स, रघुनाथपुरा, तहसील व जिला राजसमन्द

————अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमंद

———रेस्पोण्डेंट

प्रथम अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार राजसमन्द के प्रकरण संख्या 555/2018 नाजायज कब्जा किस्म पत्रावली एल.आर. एक्ट 56 अर्न्तगत धारा 91 निर्णय दिनांक 16.10.2018

उपस्थितः—

1— श्री सम्पत लाल लडढा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बौल्या, राजकीय अधिवक्ता

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का धायला ने राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा, के खसरा संख्या 309/65, 65 रकबा 3 बीघा 05 बिश्वा पर अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार राजसमन्द के यहॉ रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस दिनांक 16.10.2018 प्रेषित किया और उसी दिन प्रोसिडिंग पर हस्ताक्षर कराके रवाना कर दिया गया और अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नही दिया गया। अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि जो किस्म मगरी है, जिसे अपीलार्थी ने लाखों रूपये व्यय करके समतल करके उपयोग के काबिल बनाया हैं भूमि काबिल नियमन/अलोट योग्य हैं। किन्तु अवर न्यायालय ने रूटिन में व जल्दबाजी में निर्णय करके बेदखली आदेश कर दिया है, जो निरस्त योग्य हैं। अवर न्यायालय ने साइक्लोस्टाइल जजमेन्ट दिया है, जिसमें रिक्त स्थान भर के खानापूर्ति की गई हैं। अपीलार्थी को मौका दिया जाता तो कब्जे की पुष्ठि/नियमन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील पेश की गई हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का धायला ने राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा, के खसरा संख्या 309/65, 65 रकबा 3 बीघा 05 बिश्वा पर अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार राजसमन्द के यहॉ रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस दिनांक 16.10.2018 प्रेषित किया और उसी दिन प्रोसिडिंग पर हस्ताक्षर कराके रवाना

कर दिया गया और अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नही दिया गया। अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि जो किस्म मगरी है, जिसे अपीलार्थी ने लाखों रूपये व्यय करके समतल करके उपयोग के काबिल बनाया हैं भूमि काबिल नियमन/अलोट योग्य हैं। किन्तु अवर न्यायालय ने रूटिन में व जल्दबाजी में निर्णय करके बेदखली आदेश कर दिया है, जो निरस्त योग्य हैं। अवर न्यायालय ने साइक्लोस्टाइल जजमेन्ट दिया है, जिसमें रिक्त स्थान भर के खानापूर्ति की गई हैं। अपीलार्थी को मौका दिया जाता तो कब्जे की पुष्ठि/नियमन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा, के खसरा संख्या 309/65, 65 रकबा 3 बीघा 05 बिश्वा किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी बावजूद सूचना कोई साक्ष्य/सबूत, पेश नही किये। वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम है। बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के उधोग प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु आवदेन भी प्रस्तुत किया है। जिससे यह साबित होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी अतिक्रमी हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा दिनांक 16.10.2018 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से 01 माह में अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.05.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)